


बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
अधिसूचना

पटना-15, दिनांक : 28 अप्रैल, 2016

संख्या-1/अ0-06/2008-सा0प्र0-.....6032.../ श्री त्रिपुरारि शरण, भा0प्र0से0 (85), प्रधान सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अधीन विदेश (रूस-साईबेरिया एवं मंगोलिया) यात्रा हेतु दिनांक-26.05.2016 से 09.06.2016 तक कुल 15 (पन्द्रह) दिनों के उपार्जित अवकाश (एक्स इंडिया लिव के रूप में) की स्वीकृति प्रदान की जाती है। श्री शरण द्वारा यह यात्रा वैयक्तिक कार्य से निजी खर्च पर की जायेगी।

2. श्री त्रिपुरारि शरण की अनुपस्थिति की उपर्युक्त अवधि में श्री दीपक कुमार सिंह, भा0प्र0से0 (92), सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना अपने सभी कार्यों के अतिरिक्त सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के प्रभार में रहेंगे।


बिहार राज्यपाल के आदेश से,


28/4/16
(कन्हैया लाल साह)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-1/अ0-06/2008-सा0प्र0- 6032 /पटना-15, दिनांक: 28 अप्रैल, 2016

प्रतिलिपि:- उप सचिव, ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशित करने के अनुरोध के साथ प्रेषित/ महालेखाकार, बिहार वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/ राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार, पटना/ मुख्य मंत्री, बिहार के प्रधान सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/ मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/ संबंधित विभाग/ श्री त्रिपुरारि शरण, भा0प्र0से0 (85), प्रधान सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना / श्री दीपक कुमार सिंह, भा0प्र0से0 (92), सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ सामान्य प्रशासन विभाग (प्रशाखा-1.6) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


28/4/16
(कन्हैया लाल साह)

सरकार के अवर सचिव।